कार्यालय कलेक्टर बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र0क0 5 अ–82/14–15/भू–अर्जन /10989 बैतूल दिनांक 29 दिसम्बर 2015

घोषणा

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवयश्यकता है ।

अनुसूची

1– भूमि का वर्णन

क. जिला – बैतूल
ख. तहसील – मुलताई
ग. ग्राम – सोंडिया
घ. पटवारी हल्का नम्बर – 61
ङ. लगभग क्षेत्रफल – 5.975 हे0

खसरा नं0	रकबा (हे0में)	खसरा नं0	रकबा (हे0में)	खसरा नं0	रकबा (हे0में)
41/1	0.188	43/1	0.028	40/1	0.360
41/2	0.188	43/2	0.057	70/1	0.200
71/1	0.168	72/1	0.377	73/1	0.453
74	0.385	187/1	0.101	194/1	0.320
195/1	0.203	195/2	0.121	18/5	0.020
26/5	0.081	26/3	0.040	24/2	0.012
25	0.380	18/1	0.445	28/1	0.077
18/4	0.020	26/4	0.049	18/3	0.020
16/3	0.020	19/1	0.040	16/6	0.138
16/5	0.388	18/2	0.020	16/4	0.092
19/3	0.113	42/1	0.081	42/2	0.282
42/3	0.304	187/7	0.081	26/2	0.123

कुल रकबा 5.975 हे0

2– सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :– रिधोरा लघु जलाशय हेतु मौजा सोंडिया की निजी भूमि का अर्जन

3– चूंकि रिधोरा लघु जलाशय हेतु मौजा सोंडिया के अधिकांश हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि तथा कतिपय हितबद्ध व्यक्तियों को सम्पूर्ण भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, किन्तु मौके पर सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति न होना बताया गया है तथा उनके विस्थापन एवं पुनर्वास नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

.....2

4— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय की भू—अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार,

(ज्ञानेश्वर बी0 पाटील)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ0क0 05 अ—82/14—15 / भू—अर्जन /10989 बैतूल दिनांक 29 दिसम्बर 2015
प्रतिलिपिः—

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई ,की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7— तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सांडिया (मयावाड़ी) तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग